रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-04082021-228722
SG-DL-W-04082021-228722

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 07]	दिल्ली, जुलाई 23— जुलाई 29, 2021, बृहस्पतिवार / श्रावण 1— श्रावण 7, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 97
No. 07]	DELHI, JULY 23—JULY 29, 2021, THURSDAY/ SRAVANA 1— SRAVANA 7 , 1943	[N.C.T.D. No. 97

भाग II खण्ड 1
PART II—Sec. 1

न्यायिक और मजिस्ट्रेरी मामलों पर अधिसूचनाएं और आदेश, उच्च न्यायालय की अधिसूचनाएं और भारत के निर्वाचन आयोग की विधिक अधिसूचनाओं तथा अन्य निर्वाचन अधिसूचनाओं का पुनः प्रकाशन
Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(104)/2019/pt. file/11653.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.—

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ0अनु0-।।/दि0-लोकसभा/03/2019.— यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री रहमुद्दीन शाह** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः ,लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र **सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री रहमुद्दीन शाह विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः ,जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री रहमुद्दीन शाह को कारण बताओ नोटिस दिनांक **06.08.2019** जारी किया गया था;

और यतः ,निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **06.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री रहमुद्दीन शाह** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री रहमुद्दीन शाह द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2019 और 31.12.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 19.01.2020 और 04.02.2021 के अपने पत्र सं-DEO(EAST)/10(178)/MISC./2020/1373, DEO(EAST)/10(178)/MISC./2020/1591 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक 09.09.2020 और 24.12.2020 के अपने पत्र **सं. DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80, DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/19666-67के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री रहमुद्दीन शाह, निवासी-मकान न0-डी-59/1, ब्लॉक-डी, बाटला हाऊस, दिल्ली-110032 ने** न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यत: ,भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री रहमुद्दीन शाह** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री रहमुद्दीन शाह निवासी- मकान न0-डी-59/1, ब्लॉक-डी, बाटला हाऊस, दिल्ली-110032** को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार,सचिव

आदेश द्वारा,

अखिल कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 26th July, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/pt.file/ 11653.—The following is published for general information:—

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/03/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **03-East Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated **16.04.2019** and **Shri Rahimudin Shah,** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, East Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/4970 dated 09.07.2019, Sh. Rahimudin Shah independent** contesting candidate from

03-East Delhi Parliamentary Constituency of NCT of Delhi has failed to lodge any account of his election expenses **as required by law.**

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 06.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh. Rahimudin Shah,** for non submission of account of Election expenses in the manner required by law;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 06.08.2019 and Sh. Rahimudin Shah,** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by Shabnam spouse of the contesting candidate dated on **18-08-2019 and 31-12.2019** and Acknowledgment receipt obtained from the spouse of the candidate has been submitted to the Commission by SDM Election East Delhi District vide his letter **No. DEO (East)/10(178) /Mic./2020 /1373 dated 19.01.2021 and No. DEO(East)/10(178) /Mic./2020 /1591 dated 04-02-2021.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM Election East, Delhi District** vide his letter No.**DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80 dated 09.09.2020 and DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/19666-67 dated 24-12-2020** it has been stated that **Sh. Rahimudin Shah,**resident of H.No. D-59/1, Block-D, Batla house, Delhi-110032 has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission to satisfied that **Sh. Rahimudin Shah,** has failed to lodge an account of election expenses in **manner required by law** and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 03-East Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified **Sh. Rahimudin Shah,** resident of H.No. D-59/1, Block-D, Batla house, Delhi-110032 for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order,

AKHIL KUMAR, Jt. Chief Electroral Officer, Delhi

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(104)/2019/pt. file/11654.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.—

आदेश

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2021

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ0अनु0-।।/दि0-वि0सभा/60/2020.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 60-कृष्णानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 09.01.2020 की अपनी अधिसूचना के द्वारा विधानसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री चरनजीत (आपकी अपनी पार्टी)** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी,वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी केपत्र सं. **CEO/COE/102/(87/DLA-20/Scr.Rep/2020/88124 दिनांक 03.06.2020** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **60- कृष्णानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले (आपकी अपनी पार्टी) के अभ्यर्थी, श्री चरनजीत विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री चरनजीत को कारण बताओ नोटिस दिनांक 10.09.2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 10.09.2020 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री चरनजीत को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः अभ्यर्थी के भाई श्री राजकुमार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 15.09.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 16.09.2020 के अपने पत्र सं-DEO(EAST)/10(172)/MISC./2020/6913-14 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक 12.02.2021 के अपने पत्र सं. **DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/674 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री चरनजीत, निवासी-मकान न0-1/1, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031** ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री चरनजीत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 60-कृष्णानगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के साधारण निर्वाचन, 2020 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री चरनजीत, निवासी-मकान न0-1/1, गीता कॉलोनी, दिल्ली-110031** को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश द्वारा

अखिल कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

NOTIFICATION

Delhi, the 26th July, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/pt.file/ 11654.—The following is published for general information:—

ORDER

New Delhi, the 9th July, 2021

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-LA/60//2020.— WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi **60-Krishna Nagar Assembly Constituency** vide its Notification dated **09.01.2020** and **Shri Charanjeet, Apki Apni Party (Peoples)** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between the date on which he has been nominated and the date of declaration of the result thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, West Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/COE/102/(87)/DLA-20/Scr.Rep/2020/88124 dated 03.06.2020**, **Shri Charanjeet, Apki Apni Party (Peoples),** contesting candidate from **60-Krishna Nagar Assembly Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge an account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, West Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **10-09-2020** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Charanjeet,** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **10-09-2020**, **Shri Charanjeet,** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same before District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Sh. Raj Kumar brother of **Shri Charanjeet,** on **15-09-2020**. Acknowledgment receipt obtained from Sh. Raj kumar has been submitted to the Commission by SDM(E) East Delhi vide his letter No. F.DEO(East)/10(172)/Misc.2020/6913-14 dated **16.09.2020**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by SDM (E), West Delhi vide his letter **No.** F.DEO(East)/10(172)/Misc/.2019/674 dated **12.02.2021**. It has been stated that**Shri Charanjeet,** resident of House No **1/1 Geeta Colony, Delhi 110031,** has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice of the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission is satisfied that **Shri Charanjeet** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Charanjeet,** resident of House No **1/1 Geeta Colony, Delhi 110031,** the contesting candidate for the General Election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi, 2020 from 60-Krishna Nagar Assembly Constituency to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order,

AKHIL KUMAR, Jt. Chief Electroral Officer, Delhi

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(104)/2019/pt. file/11655.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.—

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ0अनु0-।।/दि0-लोकसभा/03/2019.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री हितेश कुमार** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी केपत्र सं. **सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले जय प्रकास जनता दल के अभ्यर्थी, **श्री हितेश कुमार** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री हितेश कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.08.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक **06.08.2019** के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री हितेश कुमार** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री हितेश कुमार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 19.01.2020 के अपने पत्र सं. DEO(EAST)/10(178)/MISC./2020/1373 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक 09.09.2020 और 24.12.2020 के अपने पत्र सं. DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80औरDEO(EAST)10(172)/MISC./2019/19666-67 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि **श्री हितेश कुमार, निवासी-मकान न.-103, सैक्टर-51, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301** ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि **श्री हितेश कुमार** निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, **श्री हितेश कुमार, निवासी- मकान न.-103, सैक्टर-51, नौएडा, उत्तर प्रदेश-201301** को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश द्वारा

अखिल कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

NOTIFICATION

Delhi, the 26th July, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/pt.file/ 11655.—The following is published for general information:—

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/03/2019.–WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **03-East Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated **16.04.2019** and **Sh Hitesh Kumar** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, East Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019, Sh Hitesh Kumar, Jai Prakash Janta Dal** contesting candidate from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi has failed to lodge any account of his election expenses in **manner required by law.**

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 06.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Sh Hitesh Kumar** for non submission of account of Election expenses in the manner required by law;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 06.08.2019, Sh Hitesh Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by **Sh Hitesh Kumar on 18-08-2019 and** Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by SDM Election East Delhi District vide his letter **No. DEO(EAST)/10(178)/Misc/2020/1373 dated 19.01.2021.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM Election East, Delhi District** vide his letterNo. **DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80dated 09.09.2020 and DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/19666-67 dated 24.12.2020** it has been stated that **Sh Hitesh Kumar,** resident of H.No.B-103, Sector-51, Noida, Uttar Pradesh, Pin-201301 has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission to satisfied that **Sh Hitesh Kumar,** has failed to lodge an account of election expenses in **manner required by law** and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 03-East Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified **Sh Hitesh Kumar,** resident of H.No.B-103, Sector-51, Noida, Uttar Pradesh, Pin-201301 for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order,

AKHIL KUMAR, Jt. Chief Electroral Officer, Delhi

अधिसूचना

दिल्ली, 26 जुलाई, 2021

सं.-मु.चु.अ./चु.सं./102(104)/2019/pt. file/11656.—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.—

आदेश

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2021

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./उ.अनु.-II/दि.-लोकसभा/03/2019.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और **श्री सतीश कुमार प्रजापति** ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार,

निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी केपत्र **सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019** के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के **03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र** से निर्वाचन लड़ने वाले मजदूर किरायेदार विकास पार्टी के अभ्यर्थी, **श्री सतीश कुमार प्रजापति** विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, **श्री सतीश कुमार प्रजापति** को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.08.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, **श्री सतीश कुमार प्रजापति** को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री सतीश कुमार प्रजापति द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 18.08.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 19.01.2020 के अपने पत्र **सं DEO(EAST)/10(178)/MISC./2020/1373** के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक 09.09.2020 के अपने पत्र सं. **DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री सतीश कुमार प्रजापति, निवासी-मकान न.-504, प्रेमवती गली, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032** ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सतीश कुमार प्रजापति निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सतीश कुमार प्रजापति, निवासी- मकान न.-504, प्रेमवती गली, ज्वाला नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश द्वारा

अखिल कुमार, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

NOTIFICATION

Delhi, the 26th July, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/pt.file/ 11656.—The following is published for general information:—

ORDER

New Delhi, the 8th July, 2021

No..76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/03/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **03-East Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated **16.04.2019** and **Shri Satish Kumar Prajapati,** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of .Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, East Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019, Shri Satish Kumar Prajapati, Majdoor Kirayedar Vikas Party** contesting candidate from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 06.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Satish Kumar Prajapati** for non submission of account of Election expenses in the manner required by law;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 06.08.2019, Shri Satish Kumar Prajapati** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by **Keshav son of Shri Satish Kumar Prajapation 18-08-2019,**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate has been submitted to the Commission by SDM Election East Delhi District vide his letter **No. DEO(EAST)ACCTTS/3(5)/2018/1370 dated 19.01.2021.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM Election East, Delhi District** vide his letter No.**DEO(EAST)10(172)/MISC./2019/6879-80 dated 09.09.2020,** it has been stated that **Shri Satish Kumar**

Prajapati resident of H.No. 504, Premwati Gali, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032 has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission to satisfied that **Shri Satish Kumar Prajapati** has failed to lodge an account of election expenses **manner required by law** and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Satish Kumar Prajapati** resident of H. No. 504, Premwati Gali, Jwala Nagar, Shahdara, Delhi-110032, the contesting candidate for the General Election to the LokSabha of NCT of Delhi, 2019 from 03-East Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order,

AKHIL KUMAR, Jt. Chief Electroral Officer, Delhi

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.08.04 15:26:30 +05'30'